राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र.एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)अति. कक्षा–कक्ष निर्माण/19–20/ दिनांक :

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : पंचायत समिति बांसवाड़ा का पत्रांक पंस.बांस/निर्माण/टीएडी/2020–21/1564 दिनांक 19.10.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 22234–41/दिनांक 01.10.2020 द्वारा तीन कक्षा–कक्ष मय बरामदा निर्माण रा.उ.मा.वि. बोरतलाब ग्राम पंचायत कुण्डला प्रशासनिक स्वीकृति राशि रू. 27.00 लाख की जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी **ग्राम पंचायत** को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी से ड्राईग, विस्तृत प्रस्ताव मय तकनीकी स्वीकृति (XEn/RDPRD/PS/Banswara/81 दिनांक 19.10.2020) प्राप्त होने से राशि रू. 27.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

उपरोक्त कार्य पर राशि की व्यवस्था :–वि.के.स. मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं–60/16–17 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि मे से शेष रही राशि में से रूपये 18.22 लाख (प्रथम किश्त) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है। शेष राशि पृथक से उपलब्ध करवायी जायेगी।

विभागीय पत्रांक 6108–18 दिनांक 30.01.2019 के क्रम संख्या 25 पर स्वीकृत कार्य स्कूल के 3 कक्षा–कक्षों का निर्माण कार्य बोरतालाब, पं.सं. बांसवाडा स्वीकृत राशि 10.00 लाख हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त की जाती है।

शर्ते–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 की पालना करते हुए कार्य **राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के मॉडल** एस्टीमेट अनुसार आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण किया जावे। कार्य का संपादन निविदा आमंत्रित कर किया जावें।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।
4. विभागीय अभियंताओ एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओ के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण करवाया जावेगा।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
7. जिन कार्यो की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त है, परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विभाग इन कार्यो हेतु राशि का हस्तान्तरण संबंधित पंचायत समिति को करेंगे।

Sd
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)I.A.S
आयुक्त

कृ.पृ.उ.

क्रमांक : यथोपरि / 25650-60 दिनांक : 24/10/20

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बांसवाडा।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा विशेष केन्द्रीय सहायता मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं–60 / 16–17 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि मे से शेष रही राशि 18.22 लाख (प्रथम किश्त) उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तान्तरित करें।
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरतलाब ग्राम पंचायत कुण्डला पं.स. बांसवाडा जिला बांसवाडा।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा।
7. निदेशक मोनिटरिंग / कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in